

सं. A-39011/01/2013-CLS-I

**भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय**

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2012

आदेश

केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) की द्वितीय केडर समीक्षा कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। सीएलएस की द्वितीय केडर समीक्षा पर केडर समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया है, जिसने फरवरी 2013 को अपनी अनुशंसा प्रेषित की है। केडर समीक्षा समिति की निम्नांकित अनुशंसा सरकार द्वारा मंजूर की गई है:

- (i) सीआइआरएम में मौजूदा एसएजी पद को पदोन्नत कर एचएजी में बदलना।
- (ii) एम/ओ एम तथा ई के मुख्यालय में एसएजी के 02 पदों का सृजन करना।
- (iii) जेएजी स्तर के 24 पदों का सृजन करना।
- (iv) एसटीएस स्तर के 03 पदों का सृजन करना।
- (v) जेटीएस स्तर के 31 पदों में कटौती करना।

2. इसके अलावा सरकार ने एंट्री स्तर (जेटीएस ग्रेड) पर रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी है, जो 1:1 के अनुपात में डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के तहत पूरा किया जाएगा। हालांकि यह प्रावधान केवल भर्ती नियमों के पुनरावलोकन के बाद ही किया जाएगा।

3. परिणामतः, केंद्रीय श्रम सेवा की संशोधित केडर की संरचना/स्वीकृत क्षमता इस प्रकार होगी:

क्र. सं.	ग्रेड/वेतन मानदेय	केडर क्षमता	
		मौजूदा	संशोधित
(I)	एचएजी/रु. 67000-79000	0	1
(II)	एसएजी/पीबी-4: रु. 37,400- 67,000 (जीपी: रु 10,000)	1	2
(III)	जेएजी (एनएफएसजी)/पीबी-4: रु. 37,400-67,000 (जीपी:रु.	35	59

	8,700) जेएजी (ओजी)/पीबी-3: रु. 15,600-39,100 (जीपी: रु. 7,600)		
(IV)	एसटीसी/पीबी-3: रु. 15,600-39,100 (जीपी: रु. 6,600)	112	115
	वरिष्ठ इयूटी पद	148	177
(V)	जेटीएस/पीबी-3: रु. 15,600-39,100 (जीपी: रु. 5,400)	194	163
	कुल इयूटी पद	342	340

3. केंद्रीय श्रम सेवा की उपरोक्त केडर संरचना वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ओ.ए, सं. 2(16)/ई.III डेस्क/2012 दिनांक 03.05.2013 के अनुकूल है तथा इसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा ओ.एम सं. 1-11011/4/2011-सीआरडी दिनांक 26.04.2013 द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

4. प्रतिष्ठान/संगठन के आधार पर केंद्रीय श्रम सेवा के पदाधिकारियों की केंद्रीय श्रम सेवा के तहत आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत स्वीकृत क्षमता बाद में अधिसूचित की जाएगी।

5. एचएजी, जेएजी, एसटीएस ग्रेड्स में नवीन सृजित/अपग्रेडेड पदों को भरने तथा मौजूदा पद-हस्तांतरितों का जेटीएस ग्रेड के पोस्टों में स्थानांतरण/पोस्टिंग के लिए, जिसे निरस्त कर दिया जाएगा, ऑर्डर अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

(ए. सी. पांडे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23710239

वितरण:

1. मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय)
2. श्रम कल्याण महानिदेशक का कार्यालय
3. केबिनेट सचिव (श्री एस. के. वलिनाथन, अवर सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (सीआरडी विभाग), लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई.III), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

9. रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (आर्मी), (ऐड्जुटेंट जेनरल की शाखा/एमपी-4 (सिविल), सेना भवन, नई दिल्ली।
10. रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (नेवी), (कक्ष सं. 210. 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली।
11. गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, 'जी' ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ), डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली।
13. डीजीओएफ तथा अध्यक्ष, आयुध कारखाना बोर्ड, कोलकाता।
14. सभी सहभागी प्रतिष्ठान/संगठन।
15. महासचिव, केंद्रीय औद्योगिक संबंध/सीएलएस पदाधिकारी संगठन, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

निम्नलिखित के लिए सूचना की प्रति:

पीएस, एलईएम/पीएसओ, सचिव (एल एंड ई)/पीपीएस, एस (एल एंड ई), जेएस (एपी)/ निदे.
(सीआर)/डीएस (बीसी)/डीएस (एएफ)/यूएस (सीएलएस-II)।